

(ख) क्या इस व्यक्ति का विध्वंसक कार्यवाहियों में हाथ था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

(ग) उसे पकड़ लिया गया है।

एक लड़की का अपहरण

3736. श्री भागवत झा आजाद :

श्री हुकम चन्द कड़वाय :

श्री सोनावने :

श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1966 में कुछ गुण्डे 17 वर्ष की एक लड़की को, जो रीडिंग रोड पर दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो में कार्य करने के पश्चात् अपने घर जा रही थी, एक टैंकसी में बिठा कर ले गये और उन्होंने उसके साथ अत्यन्त अभावनीय व्यवहार किया;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 28-5-66 को जब एक 18 वर्षीय लड़की दिल्ली दुग्ध योजना के एक डिपो पर काम करने के बाद अपने घर लौट रही थी तब हेग स्क्वायर के पास से दो व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर लिया। अभियोग है कि उन्होंने उसके साथ बलात्कार भी किया।

(ख) और (ग). तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

हरिद्वार में एक पाकिस्तानी राष्ट्र जन की गिरफ्तारी !

3737. श्री भागवत झा आजाद :

श्री हुकम चन्द कड़वाय :

श्री सोनावने :

श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 मई, 1966 के "वीर अर्जुन" में प्रकाशित समाचार के अनुसार हरिद्वार में पुलिस ने महमूद नामक एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह बिना पार-पत्र के वहां पर पिछले तीन वर्ष से रहता था;

(ग) यदि हां, तो वह किस व्यक्ति के साथ रहता था; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां

(ख) वह पिछले 2½ वर्ष से बिना पार-पत्र के वहां रहता था।

(ग) वह निजी तौर पर किराये के मकान में रहता था।

(घ) विदेशीय अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और अब न्यायालय में विचाराधीन है।